संख्या-39/2022/215/2107152/12-3099/173/2021-100(16)/2015

प्रेषक,

राजेन्द्र सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक

उत्तर प्रदेश, कृषि भवन,

लखनऊ।

कृषि अनुभाग-5 लखनऊ:: दिनांक 14 जून, 2022

विषय:- वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 103-भूमि सुधार तथा विकास, 08-जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजनान्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपयुर्क्त विषयक आपके पत्र संख्या-भू०सं०/बाढ़ो०यो०/25/जन०हमी०जै०खे०यो०/2022-23, दिनांक 05 मई, 2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2402-मृदा एवं जल संरक्षण, 103-भूमि सुधार तथा विकास, 08-जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न विवरणानुसार प्रथम किस्त के रूप में धनराशि रू.156.00 लाख (रूपया एक करोड़ छप्पन लाख मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है :-

(धनराशि लाख रू0 में)

लेखाशीर्षकवार/ मानक मदवार	**वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु प्राविधानित धनराशि**	**लेखानुदान के सापेक्ष अनुमन्य वित्तीय स्वीकृति की धनराशि**	**वित्तीय स्वीकृति**
2402-फसल कृषि कर्म 103-भूमि सुधार तथा विकास 08-जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना			

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

27- सब्सिडी	252.00	84.00	84.00
42-अन्य व्यय	188.00	62.67	62.67
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	28.00	9.33	9.33
योग	468.00	156.00	156.00

(रूपया एक करोड़ छप्पन लाख मात्र)

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय नियमों एवं प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना की निर्धारित दिशा-निर्देशों/ गाइडलाइन्स एवं संगत नियमों के अनुसार ही किया जायेगा।

4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं मदों पर किया जायेगा, जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरें मद में इसका व्यावर्तन किया जायेगा।

5. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार किया जायेगा। धनराशि आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

6. प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह प्रशासकीय विभाग का उत्तरदायित्व होगा।

7. वित्तीय स्वीकृतियॉ जारी करने अथवा धनराशि को विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने से पूर्व आपके स्तर पर की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति अनिवार्यतः सुनिश्चित कर ली जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

8. यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि स्वीकृत किये जा रहे कार्य पूर्व में राज्य सरकार या अन्य किसी स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गई है और न ही कार्य किसी अन्य योजना में सम्मिलित है, अथवा किसी प्रकार की द्विरावृत्ति न हो।

9. सम्भावित व्यय की फेजिंग विभाग के कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें। जहॉ तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय।

10. व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11. धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.3.2021 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2402001030800 (जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना)

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	011	2402001030800 जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना	27 सब्सिडी	84,00,000 (रुपये चौरासी लाख मात्र)
2	011	2402001030800 जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना	42 अन्य व्यय	62,67,000 (रुपये बासठ लाख सड़सठ हजार मात्र)
3	011	2402001030800 जनपद हमीरपुर में जैविक खेती के विकास की योजना	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	9,33,000 (रुपये नौ लाख तैंतीस हजार मात्र)
	कुल			**1,56,00,000** **(रुपये एक करोड़ छप्पन लाख मात्र)**

महायोग	1,56,00,000 (रुपये एक करोड़ छप्पन लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र सिंह,
विशेष सचिव,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-39/2022/215/2107152/12-3099/173/2021-100(16)/2015, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. अपर कृषि निदेशक (प्रसार), कृषि भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।
7. संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन)/संबधित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ)
8. सहायक निदेशक (कम्यूियो टर एवं समन्वाय) कृषि भवन, लखनऊ।
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/नियोजन अनुभाग-3
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अमर चन्द्र,
अनु सचिव,

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।